न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 197/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री महेश कुमार मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स श्री श्याम ट्रैडर्स, प्लाट नं. ए–41, मूर्तिकला कालोनी, गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर।
2. श्री जितेन्द्र पोद्दार पुत्र श्री महावीर प्रसाद पोद्दार निवासी 775, महावीर नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर मालिक फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 12.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री केशव शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री महेश कुमार मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.11.2018 को मय जांच दल के घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स श्री श्याम ट्रैडर्स, प्लाट नं. ए–41, मूर्तिकला कालोनी, गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर पर पंहुचे। मौके पर जितेन्द्र पोद्दार उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, जिनकी उपस्थिति में फर्म पर जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर दुकान के अन्दर व बाहर कुल 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (1एचपीसी+1बीपीसी+3आईओसी) के मिले। पूछताछ में अप्रार्थी ने बताया कि उक्त सिलेण्डर उसके नहीं है। उसके द्वारा विद्यार्थियों को उक्त सिलेण्डर बाजार से मिलने जुलने वालो से लाकर उपलब्ध कराये जाते हैं। मौके से 1 बडी व 4 छोटी पीतल की बांसुरीनुमा उपकरण पाये गये। मौके पर अप्रार्थी ने उक्त सिलेण्डरों व उपकरणों के संबंध में किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही उनके संबंध मे कोई संतोषजनक जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (1एचपीसी+1बीपीसी+3आईओसी), 1 बडी व 4 छोटी पीतल की बांसुरीनुमा उपकरण जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 05.10.2023 को अधिवक्ता श्री केशव शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से दिनांक 18.01.2024 को पेश जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी की दुकान के नजदीक मन्दिर में को भण्डारे का आयोजन था। दुकान के मन्दिर के नजदीक होने से मन्दिर में सेवार्थ दिये जाने वाले सामान को उसकी दुकान में ही रखा जा रहा था। उक्त जब्त सिलेण्डर भी उसी से संबंधित थे। अप्रार्थी का उनसे कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी/अभिभाषक ने जवाब को ही बहस के रुप में स्वीकार करने का निवदेन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 12.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 02.11.2018 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों का रिफिलिंग के अवैध कार्य में उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी/अभिभाषक ने जवाब में अंकन किया कि पास ही के मन्दिर में भण्डारा था और उसके लिए एकत्रित किया हुआ सामान उसकी दुकान में रखा हुआ था। साथ ही जब्त सामान में एक लोहे की बांसुरी(जो कि अवैध रिफिलिंग में काम आती है) मिलना घरेलू सिलेण्डरों से गैस रिफिलिंग करना पुष्ट करता है। अप्रार्थी/अभिभाषक ने जब्त सिलेण्डरों से संबंधित कोई भी दस्तावेज मौके पर व आज दिनांक तक पेश नही किये। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अत उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (1एचपीसी+1बीपीसी+3आईओसी), 1 बडी व 4 छोटी पीतल की बांसुरीनुमा उपकरण को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।